भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1068

बुधवार, 28 जुलाई, 2021 / 06 श्रावण, 1943 (शक)

महामारी के कारण बाल मजदूरी में वृद्धि

1068 श्री मल्लिकार्जुन खरगे:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत वर्ष के दौरान देश भर में बाल मजदूरी के कितने मामले रिपोर्ट किए गए हैं;
(ख) महामारी और इससे जुड़ी वित्तीय कठिनाइयों के कारण बाल मजदूरी के कितने मामले बढ़े हैं;
(ग) क्या सरकार ने अपने परिवार की वित्तीय अस्थिरता के कारण नौकरी करने के लिए मजबूर होने वाले बच्चों के पुनर्वास के लिए कोई कदम उठाए हैं;
(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या बाल कल्याण पर महामारी के भाव को समझने के लिए एक पृथक समिति गठित करने की कोई योजना है; और
(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) और (ख): राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो से प्राप्त सूचना के अनुसार अद्यतन आंकड़े 2019 से संबंधित हैं और इसके अनुसार बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत देश में 2019 के दौरान 770 मामले दर्ज किए गए थे।

(ग) और (घ): श्रम और रोजगार मंत्रालय बाल श्रमिकों के पुनर्वास हेतु एक केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) स्कीम का कार्यान्वयन कर रहा है। एनसीएलपी के अंतर्गत, 9-14 वर्ष के आयु समूह के बच्चे काम से बचाए/हटाए जाते हैं तथा एनसीएलपी विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों (एसटीसी) में नामांकित किए जाते हैं, जहां उन्हें औपचारिक शिक्षा पद्धति की मुख्यधारा में लाने से पहले समायोजी शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, मध्याह्न भोजन, वजीफा, स्वास्थ्य देख-रेख, आदि उपलब्ध कराए जाते हैं। 5-8 वर्ष के आयु समूह के बच्चों को समग्र शिक्षा अभियान के निकट समन्वय के माध्यम से सीधे औपचारिक शिक्षा पद्धति से जोड़ा जाता है।

(ड.) और (च): बाल श्रम संबंधी एक केंद्रीय सलाहकार बोर्ड है जिसका गठन श्रम और रोजगार मंत्रालय में किया गया है। यह बोर्ड, न केवल बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के प्रभावी प्रवर्तन के लिए उपाय करने के सुझाव देता है, बल्कि अन्य उपायों के अतिरिक्त बाल एवं किशोर श्रमिक के कल्याण हेतु कल्याणकारी उपाय का परामर्श भी देता है।

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने विशेष प्रशिक्षण केंद्रों के कार्यचालन के संबंध में मानदंडों में छूट देने का निर्णय लिया और कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के अंतर्गत अप्रैल, 2020 से सितम्बर, 2020 तक वित्तीय अनुदान जारी किया है।

******